

ब्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

पीठासीन अधिकारी - प्रदीप कुमार आर.एस.

प्रकरण संख्या : 79/2011

निर्णय दिनांक 29/12/2019

1. प्रभुसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. श्रीमती लखत कंवर बेवा अमरसिंह सनऑफ अलसीसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. श्रीमती ठच्छ कंवर पुत्री अमरसिंह सनऑफ अलसीसिंह धर्मपत्नी दीपसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

...वादीगण

बनाम



- 1/1 श्रीमती रिजकंवर धर्मपत्नी सुलतानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत ।
- 1/2 किसन सिंह पुत्र सुलतानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 1/3 श्रीमती सदा कंवर पुत्री सुलतानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 1/4 श्रीमती रूप कंवर पुत्री सुलतानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 1/5 श्रीमती धापू कंवर पुत्री सुलतानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत ।
- 1/6 श्रीमती मनोहर कंवर पुत्री सुलतानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत ।
- 1/7 श्रीमती हर कंवर पुत्री सुलतानसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत ।
2. भासुसिंह पुत्र अचल जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
3. नेपाल सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।

4. मोहनलाल पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
5. लिखमणराम पुत्र कुंभाराम जाट निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
6. नारायणराम पुत्र कानाराम जाट निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
7. नारायणसिंह पुत्र जेटू सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
8. मु. संतोष कंवरी पुत्री जेटूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
9. मु. बालू बेवा जेटूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
- 10/1 श्रीमती केलु कंवर बेवा देवीसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
- 10/2 गंगा कंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
- 10/3 उर्मिला कंवर पुत्री देवी सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
11. सार्दुल सिंह उर्फ बाबु सिंह पुत्र कान सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
12. राणी सिंह पुत्र कान सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
13. चैन सिंह पुत्र कान सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
14. मु. सुगनी बेवा कान सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
15. मु. सुरजा पुत्री पन्ने सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
16. सुगनी पुत्री पन्ने सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
17. आसु सिंह पुत्र गज सिंह सनऑप दीप सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।
18. सुमेर सिंह पुत्र गज सिंह सनऑप दीप सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भेलु तहसील कोलायत।



उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

- 19.रूघनाथ सिंह पुत्र गज सिंह सनऑप दीप सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 20.रेवन्त सिंह पुत्र गज सिंह सनऑप दीप सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 21.मु. रसाल कंवर पत्नी सुमेर सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 22.तेज सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 23.रामसिंह पिसरान मानसिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 24.मु. रेखा कंवर पत्नी रूघनाथ सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 25.कान सिंह पुत्र धोकल सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 26.मालम सिंह पुत्र लाधु सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 27.शैतान सिंह पुत्र दीप सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम कोलासर हाल भेलू तहसील कोलायत।
- 28.दुर्जन सिंह पुत्र जुवार सिंह उर्फ जीवण सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 29.तिले सिंह पुत्र जुवार सिंह उर्फ जीवण सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 30.मु. तुलछा पुत्री जुवार सिंह उर्फ जीवण सिंह जाति राजुपत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत।
- 31.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब, कोलायत।

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 55 आर.टी.ए. 1955

उपरिथत :-

1. श्री सत्यपालसिंह शेखावत, अभिभाषक वादीगण।
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, श्री रणजीतसिंह
3. पैरोकारराज।

42
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

- निर्णय -

वादीगण द्वारा धारा 88, 89, 92ए, 188 व 53 आरटीए 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद पत्र के सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

1. कि ग्राम भेलू तहसील कोलायत स्थिति खसरा नम्बर 221 रकबा 91 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 213 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 69 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 68 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 117 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 194 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 257 रकबा 277 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 248 रकबा 65 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 252 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 356 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 285 रकबा 213 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 299 रकबा 204 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 339 रकबा 122 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 341 रकबा 125 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 342 रकबा 119 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 269 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 404 रकबा 164 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 406 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 173 बीघा 18 बिस्वा, कुल रकबा 3030 बीघा, 11 बिस्वा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2005 राज श्री बीकानेर अचलसिंह पुत्र तख्तसिंह 1/32 हिस्सा (94 बीघा 15 बिस्वा), पीरदानसिंह, केशरीसिंह पिसरान गुमानसिंह 1/32 हिस्सा (94 बीघा 15 बिस्वा), जेठमालसिंह वल्द जुगतसिंह 1/16 हिस्सा (189 बीघा 9 बिस्वा), पन्ने सिंह वल्द मदनसिंह 1/8 हिस्सा (378 बीघा 19 बिस्वा), बुलीदानसिंह पि.मु. मोब्बतसिंह 1/4 हिस्सा (757 बीघा 17 बिस्वा), गजसिंह वल्द दीपसिंह 1/16 हिस्सा (189 बीघा 9 बिस्वा), मानसिंह, मोहनसिंह, प्रभुसिंह पिसरान प्रेम सिंह 1/16 हिस्सा (189 बीघा 9 बिस्वा), जगमालसिंह वल्द हेमसिंह 1/8 हिस्सा (378 बीघा 19 बिस्वा), मु. पेम्पा बेवा धोकलसिंह 1/16 हिस्सा (189 बीघा 9 बिस्वा), लाधुसिंह वल्द मंगल सिंह 1/16 हिस्सा (189 बीघा 9 बिस्वा), रेवन्त सिंह, अमरसिंह वल्द अलसीसिंह 1/32 हिस्सा (94 बीघा 15 बिस्वा), जुहार सिंह वल्द उदयसिंह 1/32 हिस्सा (94 बीघा 15 बिस्वा), मिरगा बेवा हनुमंतसिंह 1/16 हिस्सा (189 बीघा 9 बिस्वा), मुस्तरका व अविभाजित खातेदारी रकबा था व रहा है। सजरा नस्ब खानदान वाद पत्र के पेज-3 पर अंकित है। वादगत भूमि के सह हिस्सेदारान द्वारा विक्रित भूमि व



उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

शिलिंग में आवाप्ती पश्चात शेष रही 1481 बीघा 17 बिस्वा वर्तमान में बन्दोबरस्ती खसरा नम्बर 139 एकबा 16.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 140 एकबा 13.58 हैक्टयर, खसरा नम्बर 143 एकबा 60.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 162 एकबा 39.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 164 एकबा 40.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 167 एकबा 9.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 268 एकबा 25.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 304 एकबा 28.98 हैक्टयर, खसरा नम्बर 330 एकबा 9.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 366 एकबा 31.86 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367 एकबा 30.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 475 एकबा 29.90 हैक्टयर, 491 एकबा 18.89 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502 एकबा 21.98 हैक्टयर कुल कित्ता 14, कुल एकबा 374.79 हैक्टयर में कायम हुई सह हिस्सेदारान द्वारा विक्रय व शिलिंग अवाप्ति पश्चात गलत हिस्सा कायम होने से भी वादीगण द्वारा जरिये घोषणात्मक दुरस्ती बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा एवं चिर निषेधाज्ञा की इस्तदुआ की गई।

2. यह कि वाद पत्र एवं वादोत्तर में किये गये अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा 24.04.2006 को निम्न वाद बिन्दु तय किये गये :-

1. आया वादपत्र के पैरा संख्या 26 (क) में क्लेम किये गये तथ्यों के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने के वादी मजाज है ?

- वादीगण

2. आया राजस्व रिकार्ड में हुये गलत इन्द्राज को दुरस्ती के जरिये वादीगण अपने नाम से इन्द्राज करवाने के हकदार है ?

- वादीगण

3. आया वादीगण अपने हिस्से आयी भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में करवाने के मजाज है ?

- वादीगण

4. आया वादीगण डिग्री चिर निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ पाने के हकदार है ?

- वादीगण

5. आया दावा वादीनी धारा 52 ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट से हिट होने से काबिल इखराजी है ?

- प्रतिवादीगण

6. आया वादगत भूमि भाई बंट से पारिवारिक समझौता से विभाजन किया हुआ है। उसी अनुरूप विभाजन का दावा लाया जा सकता है ?

- प्रतिवादीगण

7. पक्षकारान किस सहायता के पात्र है ?

4
उपखण्ड अधिकारी
कोटा जिला-बीकानेर

यह कि प्रकरण साक्ष्य हेतु निर्धारित होने पर वादीगण की ओर से वादी प्रभुसिंह के साक्ष्य शपथ पत्र पर दिनांक 28.05.2007 को जिरह एवं ग्राम भेलू के हल्का पटवारी ज्ञानचन्द के बयान दिनांक 31.07.2007 को रेकार्ड किये गये। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मिसल बन्दोबस्त सम्मत 2005 प्रदर्श-1; जमाबन्दी 2031-34 प्रदर्श-2, जमाबन्दी 2035-38 प्रदर्श-3, जमाबन्दी 2039-42 प्रदर्श-4, जमाबन्दी 2044-47 प्रदर्श-5, जमाबन्दी 2048-51 प्रदर्श-6, मिसल बन्दोबस्त 2058 खाता संख्या 347 प्रदर्श-7, मिलन क्षेत्रफल प्रदर्श-8, जमाबन्दी 2052-55 प्रदर्श-9, जमाबन्दी 2027-30 प्रदर्श-10, जमाबन्दी 2020-23 प्रदर्श-11, इन्तकाल संख्या 483 प्रदर्श-12, इन्तकाल संख्या 609 प्रदर्श-13, इन्तकाल संख्या 874 प्रदर्श-14, इन्तकाल संख्या 875 प्रदर्श-15, इन्तकाल संख्या 741 प्रदर्श-16, इन्तकाल संख्या 690 प्रदर्श-17, इन्तकाल संख्या 630 प्रदर्श-18, इन्तकाल संख्या 369 प्रदर्श-19, इन्तकाल संख्या 794 प्रदर्श-20, इन्तकाल संख्या 965 प्रदर्श-21, इन्तकाल संख्या 1023 प्रदर्श-22, इन्तकाल संख्या 511 प्रदर्श-23, इन्तकाल संख्या 520 प्रदर्श-24, इन्तकाल संख्या 395 प्रदर्श-25, इन्तकाल संख्या 603 प्रदर्श-26, इन्तकाल संख्या 604 प्रदर्श-27, इन्तकाल संख्या 616 प्रदर्श-28, इन्तकाल संख्या 638 प्रदर्श-29, इन्तकाल संख्या 646 प्रदर्श-30, इन्तकाल संख्या 549 प्रदर्श-31, इन्तकाल संख्या 548 प्रदर्श-32, इन्तकाल संख्या 547 प्रदर्श-33, इन्तकाल संख्या 546 प्रदर्श-34, इन्तकाल संख्या 545 प्रदर्श-35, इन्तकाल संख्या 543 प्रदर्श-36, इन्तकाल संख्या 542 प्रदर्श-37, इन्तकाल संख्या 541 प्रदर्श-38, इन्तकाल संख्या 663 प्रदर्श-39, इन्तकाल संख्या 662 प्रदर्श-40, इन्तकाल संख्या 655 प्रदर्श-41, इन्तकाल संख्या 654 प्रदर्श-42, इन्तकाल संख्या 648 प्रदर्श-43, इन्तकाल संख्या 647 प्रदर्श-44, इन्तकाल संख्या 632 प्रदर्श-45, इन्तकाल संख्या 513 प्रदर्श-46, इन्तकाल संख्या 998 प्रदर्श-47, इन्तकाल संख्या 560 प्रदर्श-48, इन्तकाल संख्या 464 प्रदर्श-49, इन्तकाल संख्या 512 प्रदर्श-50, इन्तकाल संख्या 965 प्रदर्श-51, इन्तकाल संख्या 510 प्रदर्श-52, इन्तकाल संख्या 561 प्रदर्श-53, इन्तकाल संख्या 641 प्रदर्श-54, इन्तकाल संख्या 610 प्रदर्श-55 प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते एवं मुताबिक दावा फैसल करने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में उल्लेखित कथनों, प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 ता प्रदर्श 55 को उल्लेखित करते हुवे निवेदन किया की वाद वादीगण जरिये घोषणात्मक दुरस्ती, बंटवारा डिग्री जारी कर रिकॉर्ड में अंकन के आदेश फरमावें। अभिभाषक प्रतिवादीगण ने भी उक्त अनुसार डिग्री जारी करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी

अभय पक्षकारान की बहस व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

तनकी संख्या - 1 व 2 एक साथ निर्णित की जाती है। तनकी संख्या व 2 के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2005 में वादगत भूमि वादीगण/प्रतिवादीगण के भुरिसान के नाम वाद पत्र के पैरा संख्या 1 व 2 अनुसार अंकित रही है जिसका खण्डन किसी भी पक्ष ने नहीं किया है। वादगत भूमि में सह हिस्सेदारान द्वारा विक्रय एवं सह हिस्सेदारान के सिलिंग के आवाप्ति पश्चात गलत रूप से दर्ज हिस्सा बाबत भी वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित कथनों का किसी भी पक्ष द्वारा खण्डन नहीं किया गया सह हिस्सेदारान द्वारा विक्रय व सिलिंग आवाप्ति पश्चात शेष रही 1481 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो वर्तमान भू प्रबन्ध खसरा नम्बर 139 रकबा 16.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 13.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 60.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 39.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 रकबा 40.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 9.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 25.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 304 रकबा 28.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 330 रकबा 9.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 366 रकबा 31.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 367 रकबा 30.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 475 रकबा 29.90 हैक्टर, 491 रकबा 18.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 502 रकबा 21.98 हैक्टर कुल कित्ता 14, कुल रकबा 374.79 हैक्टर भूमि में वादी नम्बर 1 के हिस्से में 81 बीघा 6 बिस्वा भूमि व वादी नम्बर 2 व 3 के हिस्से में 99 बीघा 9 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 (1/1 ता 1/7), प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में 201 बीघा 10 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में 21 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हिस्से में 45 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 7 ता 9, प्रतिवादी संख्या 10 (10/1 ता 10/3) का मुस्तरका खाते की भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 ता 16 के हिस्से में 310 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 के हिस्से में 71 बीघा 10 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 22 व 23 के हिस्से में 81 बीघा 6 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 21 के हिस्से में 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 24 के हिस्से में 26 बीघा 17 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 25 के हिस्से में 148 बीघा 14 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 26 के हिस्से में 119 बीघा 9 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी संख्या 27 के हिस्से में 61 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 28 ता 30 के हिस्से में 121 बीघा 10 बिस्वा भूमि आती है और वे इसी कदर राजस्व रेकार्ड में जरिये घोषणात्मक दुरस्ती दुरस्त की जाकर अंकन के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व साक्ष्य से तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

तनकी संख्या 3 - चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वादी नम्बर 1, 81 बीघा 6 बिस्वा भूमि व वादी नम्बर 2 व 3, 99 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

9 बिस्वा अपने हिस्से भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में निर्णत जाकर स्वीकार की जाती है।

तनकी संख्या 4 – तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णत होने से चिर निषेधाज्ञा डिग्री खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी हो कि प्रतिवादीगण, वादीगण के हिस्सा भूमि में मदालखत बेजा न करे।

तनकी संख्या 5 व 6 – उक्त तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाकर अस्वीकार की जाती है।

तनकी संख्या 7 – उपरोक्तानुसार

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण डिग्री किया जाता है पृथक से डिग्री जारी की जावे। तहसीलदार कोलायत से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को लिपिबद्ध करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय डिग्री जोशी तहसीलदार (रजि.) कोलायत को पालना



4
प्रदीप कुमार(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत कोलायत

